न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

पत्रावली संख्या : 99/**17 (वाद)**

1. श्रीमती बेनकी पत्नी स्व. लालुराम डांगी निवासी रेलडा, डबोक तह. मावली।
2. सुश्री सीमा पिता स्व. लालुराम डांगी निवासी रेलडा, डबोक तह. मावली।
3. श्री शंकर पिता स्व. लालुराम डांगी निवासी रेलडा, डबोक तह. मावली।
4. श्री पुष्कर पिता स्व. लालुराम डांगी नाबालिग जरिये सरंक्षक माता श्रीमती बेनकी पत्नी स्व. लालुराम डांगी निवासी रेलडा, डबोक तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री पेमा पिता भग्गा डांगी निवासी रेलडा, डबोक तह. मावली।

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

3. पटवारी, पटवार हल्का डबोक तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता वादीगण।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट.

: : निर्णय : :

दिनांक : 08.01.2020

1. वाद वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम वादीगण के पिता/पति स्व. लालुराम जी ने एक वाद बाबत् घोषणा आप न्यायालय में दिनांक 06.11.2009 को प्रस्तुत किया था जिसके मुकदमा नम्बर 246/2009 है तथा उक्त पत्रावली का उनवान लालुराम बनाम पेमा के नाम से लम्बित था उक्त मुकदमें में स्व. लालुराम डांगी ने ग्राम डबोक के आराजी नम्बर 580, 581, 446, 451, 535, 536, 537, 538, 550, 556, 551, 557, 558, 559, 560, 561, 570, 574, 575, 576 व 611, 612, 613, 614 जो कि पूर्व में श्रीमती कन्नीबाई बेवा रूपा डांगी के नाम पर दर्ज थी स्व. लालुराम जी दत्तक पुत्र होने के नाते उक्त आराजीयात में श्रीमती कन्नीबाई के नाम पर दर्ज जमीन को अपने नाम पर दर्ज करवाने हेतु अनुतोष चाहा था जिस पर न्यायाय द्वारा गुणावगुन उपरान्त दिनांक 10.10.2011 को वादी लालुराम की मृत्यु उपरान्त श्रीमती कन्नीबाई के हिस्से को हम वादीगण के नाम पर खातेदारी

हक दर्ज करवाने का आदेश दिया था जिसकी पटवारी, पटवार हल्का डबोक द्वारा उक्त आदेश डिक्री की पालना कर हम वादीगण नाम खातेदारी हक से दर्ज किया गया परन्तु वाद दायर करते समय सेहवन मात्र से ग्राम डबोक की कुछ आराजीयात जो कि श्रीमती कन्नीबाई बेवा रूपा के नाम पर दर्ज थी जिसके आराजी नम्बर 452, 454, 445, 453 है उक्त आराजी को वाद में अंकित करना रह गया था जिससे श्रीमती कन्नीबाई के नाम पर दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा जमीन हम वादीगणों के नाम पर दर्ज नहीं हो सकी तथा वर्तमान में उक्त आराजीयात 452, 454, 445, 453 श्रीमती कन्नीबाई के नाम पर दर्ज है जिसको हम वादीगण अपने नाम पर दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

2. यह कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक तह. मावली में निम्न आराजीयात स्थित है परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 445 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान में श्रीमती कन्नीबाई डांगी के नाम पर 1/12 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 453 रकबा 6 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान में श्रीमती कन्नीबाई डांगी के नाम पर 1/6 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। परिशिष्ट ग में वर्णित आराजी नम्बर 452, 453 किता 2 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा। उक्त आराजीयात वर्तमान में श्रीमती कन्नीबाई डांगी के नाम पर 1/6 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं।
3. यह कि वादीगण के पिता/पति स्व. लालुराम पिता श्री रूपा जी डांगी निवासी रेलडा, डबोक तह. मावली के निवासी थे और प्रतिवादी सं. 1 श्री पेमा पिता रूपा डांगी निवासी रेलडा, डबोक तह. मावली का निवासी है तथा प्रतिवादी सं. 2 राजस्थान राज्य जरिये तह. मावली होकर भूमिधारी होने से घोषणा के वाद हेतु कानुनी एवं आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाया हैं।
4. यह कि हम वादीगणों के पिता/पति स्व. लालुराम के जायन्दा पिता भग्गा जी डांगी और भग्गा जी डांगी एक ओर जायन्दा पुत्र प्रतिवादी सं. 1 पेमा है लेकिन भगा जी डांगी के सगे भाई श्री रूपा पिता उदा डांगी निवासी रेलडा, डबोक तह. मावली के कोई सन्तान नहीं थी इसलिएए रूपा जी डांगी एवं धर्मपत्नी श्रीमती कन्नीबाई ने हम वादीगणो के पिता/पति स्व. लालुराम को अपना पुत्र मानते थे और हम वादीगणों के पिता/पति स्व. लालुराम को ही पुत्रवत रखते थे स्व. लालुराम डांगी, रूपा जी व श्रीमती कन्नी बाई के साथ रहते थे और साथ ही भोजन करते थे।
5. यह कि वर्ष 1983 में जब रूपा जी डांगी की मृत्यु हो गई तब हम वादीगणों के पिता/पति स्व. लालुराम ने ही रूपा जी डांगी के पुत्रवत हैसियत से समस्त सामाजिक रिति रिवाज के द्वारा उनका अंतिम क्रिया कर्म किया था और रूपा जी डांगी की पगडी हम वादीगणो के पिता/पति स्व. लालुराम को पहनायी गई थी। इस प्रकार हम वादीगणों के पिता/पति लालुराम जी, रूपा जी एवं श्रीमती कन्नीबाई के पुत्र थे। श्रीमती कन्नीबाई ने समाज के लोगों एवं गांव के मौतबीर पंचो से निवेदन किया कि स्व. लालुराम का गोदनामा वैसे तो हिन्दु रिति रिवाजानुसार सम्पन्न हो चुका है और स्व. लालुराम मेरा दत्तक पुत्र बन गया है

लेकिन याददास्ती के लिए एवं लिखापढी की जाये ताकि भविष्य में मेरे पुत्र (स्व. लालुराम) को मेरी मृत्यु के बाद कोई परेशानी अथवा दिक्कत ना आवें। श्रीमती कन्नीबाई के उक्त निवेदन को समाज के लोगों एव गांव के पंचों ने सही मानते हुए दिनांक 29.03.1983 को गोदनामें की लिखापढी की। उक्त गोदनामें की लिखापढी में हम वादीगणों के पिता/पति स्व. लालुराम के जायन्दा पिता श्री भगा जी डांगी ने अपनी पत्नी की सहमति लेकर हस्ताक्षर किये तथा कन्नीबाई डांगी ने भी अगुंठा निशानी की। दत्तक माता की आयु में तथा दत्तक पुत्र की आयु में 18 वर्ष से अधिक अन्तर है। उक्त गोदनामें की लिखापढी पर दो स्वतंत्र गवाहों से अधिक के हस्ताक्षर अथवा अगुंठा निशानी है इस प्रकार स्व. लालुराम को दत्तक ग्रहण दिनांक 29.09.1983 को लिखित में होकर पूर्ण रूप से निष्पादित हो गया और स्व0 लालुराम की दत्तक माता श्रीमती कन्नीबाई डांगी बनी एवं दत्तक पिता श्री रूपा डांगी बने। उक्त गोदनामें की लिखापढी की फोटो प्रति साथ संलग्न हैं।

6. यह कि वादीगण के पिता/पति लालुराम जी डांगी, श्रीमती कन्नीबाई डांगी के साथ पुत्र की तरह बचपन से रहते आ रहे है तब से आज दिनांक तक स्व. लालुराम जी ही कन्नीबाई की चल व अचल सम्पति का उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा लालुराम जी मृत्यु उपरान्त हम वादीगण उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त होकर उक्त जमीन का उपयोग उपभोग करते आ रहे है इस तरह लगभग 35 वर्षों से हम वादीगण उक्त जमीन पर खेती करते आ रहे है जिससे हम वादीगण का नाम एडवर्स पजेशन के आधार पर भी राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।
7. यह कि वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है चूंकि रूपा जी डांगी व उनकी पत्नी श्रीमती कन्नीबाई ने आपसी सहमति से हम वादीगण के पिता/पति स्व. लालुराम को पंचों के समक्ष गोद लिया था जिसकी पुष्टि भी आप न्यायालय द्वारा पूर्व में लम्बित प्रकरण में हो चुकी है इस कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् रूपा व उनकी पत्नी श्रीमती कन्नीबाई की मृत्यु के उपरान्त उनके नाम पर वर्णित आराजीयात हम वादीगण स्व. लालुराम के नाम पर दर्ज होनी चाहिए थी चुंकि लालुराम जी की मृत्यु हो चुकी है और हम वादीगण स्व. लालुराम की विधिक वारिस है इस कारण श्रीमती कन्नीबाई के नाम दर्ज सम्पूर्ण आराजीयात हम वादीगण हिस्सेनुसार अपने अपने नाम पर दर्ज करवाने के अधिकारी है अगर हम वादीगण के नाम उक्त वाद में अंकित आराजीयात में खातेदारी हैसियत से दर्ज नहीं किया गया तो हम वादीगणों को होने वाले क्षति का मूल्यांकन रूपयो पैसों मे नहीं किया जा सकेगा।
8. यह कि पूर्व में श्रीमती कन्नीबाई के नाम पर दर्ज सम्पूर्ण आराजीयात में हम वादीगण को आप न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है केवल मात्र दावा प्रस्तुत करते समय सेवहन मात्र से उक्त आराजीयात का अंकन करना शेष रह गया था जिस वजह से उक्त वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत करना पड

रहा हैं इस कारण प्रतिवादीगणों को हमारे हक एवं हिस्से की उक्त आराजीयात में कोई अधिकार नहीं मिलता हैं।

9. यह कि रूपा डांगी व उनकी पत्नी श्रीमती कन्नीबाई के दत्तक पुत्र हम वादीगण के पिता/पति स्व. लालुराम जी होने के कारण हम वादीगणो को स्व. लालुराम जी के हक व हिस्से की जमीन में जन्म से अधिकार मिल गये है जिस कारण श्रीमती कन्नीबाई के नाम दर्ज उक्त वाद में वर्णित आराजीयात में हम वादीगण अपना अपना नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।
10. यह कि वाद कारण दिनांक 22.03.2017 को उत्पन्न हुआ जब पटवारी साहब से हम वादीगणो ने उक्त आराजीयात की सम्पूर्ण नकल निकलवाई तो पता चला कि कुछ आराजीयात अभी वर्तमान में श्रीमती कन्नीबाई के नाम पर दर्ज है जिस पर हम वादीगणो ने दिनांक 24.04.2017 को आप न्यायालय से पुराने वाद की नकल निकलवाई तो पता चला कि श्रीमती कन्नीबाई के नाम की सम्पूर्ण आराजीयात की कुछ भूमि छुट गई है तथा कुछ भूमि दलाल हम वादीगणों को हमारी उक्त आराजीयात से बेदखल करने पर उतारू है। जिस कारण वाद कारण पैदा हुआ जो निरन्तर जारी हैं।
11. अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय ी डिक्री प्रदान करायी जावे कि वाद में वर्णित आराजीयात में श्रीमती कन्नीबाई के नाम की जमीन में हम वादीगण को विरासत व एडवर्स पजेशन अनुसार बनने वाले हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अर्थात् परिशिष्ट क में वादीगण को संयुक्त 1/12 हिस्से का एवं परिशिष्ट ख में अंकित आराजीयात के 1/6 हिस्से का एवं परिशिष्ट ग में 1/6 हिस्से का हम वादीगण के नाम जमाबन्दी में दर्ज किया जावें। यह कि वाद व्यय व वकील मेहनताना प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावें। यह कि हस्ब धारा 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट जो भी दाद मिल सकती हो दिलायी जावें।
12. वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ दस्तावेजात नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, पूर्व में न्यायालय के आदेश प्रदर्शन 2, गोदनामा प्रदर्श 3, सेटलमेन्ट जमाबन्दी प्रदर्श 4 पेश की गई है।
13. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई।
14. प्रकरण में साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू–1 श्रीमती बेनकी का शपथ प्रस्तुत किया।
15. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
16. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा यह वाद घोषणा के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें भूमि पूर्व में कन्नीबाई बेवा रूपा डांगी के नाम पर दर्ज थी। जिसमें कन्नीबाई द्वारा लालुराम को गोद

रखा। जिसके आधार पर न्यायालय से प्रकरण सं. 246/09 लालुराम बनाम पेमा दिनांक 10.10.2011 को स्वीकार कर डिक्री कर लिया गया, परन्तु वादग्रस्त भूमि सेहवन से उक्त वाद में अंकन नहीं हो पाई जिस कारण वादग्रस्त भूमि वादीण के नाम पर दर्ज नहीं हो पाई। वादीगण द्वारा दस्तावेज डिक्री नकल प्रदर्श पी. 2 पेश किया, जिसमें लालुराम के वारिस वादी सं. 1/1 से 1/4 को कन्नी के बजाय खातेदार काश्तकार घोषित किया गया हैं। प्रतिवादी बावजूद सूचना वादीगण के वाद के खण्डन हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं। वादीगण के पिता/पति लालुराम के पिता भगा डांगी के भाई रूपा पिता उदा डांगी के कोई सन्तान नहीं थी, जिस पर रूपा डांगी व उनकी धर्म पत्नी कन्नी बाई ने वादी के पिता/पति स्व. लालुराम जी को पुत्रवत्त रखा व समाज के पंचों के समक्ष दिनांक 29.3.1983 प्रदर्श पी 3 गोदनामें की लिखापढी की थी। रूपा डांगी के अन्तिम क्रियाकर्म का कार्य लालुराम जी ने ही किया था, लिखापढी पर लालुराम जी के पिता भगा जी डांगी ने भी सहमति के हस्ताक्षर किये हैं। गोदनामें के आधार पर लालुराम जी के दत्तक माता पिता रूपा जी व कन्नीबाई बने हैं। गोदनामें के आधार पर ही पूर्व में इसी न्यायालय से प्रकरण सं. 246/09 वाद लालुराम बनाम पेमा डांगी का स्वीकार होकर वादीगण के पक्ष में डिक्री हुआ हैं। अतः कन्नीबाई के मृत्यु के पश्चात् गोदनामें के आधार पर लालुराम जी व लालुराम जी की मृत्यु के पश्चात् वादीगण काबिज हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 445 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 453 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 452, 454 किता 2 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि में खातेदार कन्नीबाई बेवा रूपा के बजाय वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर मावली

बईजलास अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती बेनकी पत्नी स्व. लालुराम डांगी निवासी रेलडा, डबोक तह. मावली।
2. सुश्री सीमा पिता स्व. लालुराम डांगी निवासी रेलडा, डबोक तह. मावली।
3. श्री शंकर पिता स्व. लालुराम डांगी निवासी रेलडा, डबोक तह. मावली।
4. श्री पुष्कर पिता स्व. लालुराम डांगी नाबालिग जरिये सरंक्षक माता श्रीमती बेनकी पत्नी स्व. लालुराम डांगी निवासी रेलडा, डबोक तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

4. श्री पेमा पिता भग्गा डांगी निवासी रेलडा, डबोक तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का डबोक तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 99/17 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 445 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 453 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 452, 454 किता 2 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि में खातेदार कन्नीबाई बेवा रूपा के बजाय वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.01.2020 को जारी की गई।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.07 12:24:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: